डिक्री मुकदमात इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना आर.ए.एस.

उनवान

कमलादेवी पत्नि मुनीम उग्रम 58 साल जाति मीना निवासी मण्डेरु तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0

वादी

वनाम

1 तहसीलदार तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0
2 प्रेमदेवी पत्नि भरतलाल उम्र 55 साल जाति मीना निवासी मण्डेरु तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0

प्रतिवादीगण

दावा वावत घोषणा खातेदारी नाम दुरुस्ती

अर्न्तगत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट एवम

88 आर0 टी0 एक्ट

मु0नं0 15/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह .... पेश होकर हुकम दिया जाता है व ग्राम मण्डेरू की आराजीयात में निम्नानुसार डिक्री दी जाती है कि ग्राम मण्डेरु तह0 टोडाभीम की आराजी खं0 नं0 1196 रकवा 0:38 है0 में वादीया का नाम कमलीदेवी पत्नि मुनीम को हजफ कर कमलादेवी पत्नि मुनीम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है वादीया जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला-करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 15/2025 तारीख रजू :– 05.05.2025

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री पूजा मीना आर.ए.एस.

कमलादेवी पत्नि मुनीम उग्रम 58 साल जाति मीना निवासी मण्डेरु तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0

वादीया

वनाम

1 तहसीलदार तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0
2 प्रेमदेवी पत्नि भरतलाल उग्र 55 साल जाति मीना निवासी मण्डेरु तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0

प्रतिवादीगण

दावा वावत घोषणा खातेदारी नाम दुरुस्ती

अर्न्तगत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट एवम

88 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थित :– 1 श्री सुरेश चंद शर्मा एडवोकेट वादीया

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांक– 02.07.2025

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मण्डेरु तह0 टोडाभीम के खाता संख्या 29 सम्वत 2075–2078 आराजी ख0 नं0 1196 रकवा 0:38 है0 कुल किता 1 कुल रकवा 0:38 है0 ग्राम मण्डेरु तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0में स्थित है उक्त आराजी में वादीया 1/2 हिस्से की खातेदार है वादीया ग्राम मण्डेरु की निवासी है उक्त आराजी में वादीया का नाम कमलीदेवी अंकित है जबकि वादीया का सही नाम कमलादेवी है इसलिए वादीया का नाम कमलादेवी के स्थान पर कमलीदेवी अंकित कर दिया जो गलत अंकित किया है जबकि वादीया का सही नाम कमलादेवी है जो उसके आधार कार्ड जन आधार कार्ड, भावाशाह कार्ड राशन कार्ड में अंकित है जो सही है रेवेन्यू रिकोर्ड में वादीया का नाम कमलीदेवी अंकित कर दिया है जो गलत किया है इसलिए वादीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

अपना नाम कमलीदेवी के स्थान पर कमलादेवी कराने की हकदार है वादीया को उक्त गलती का पता चलने पर वादीया दिनांक 22:04:2025 को तहसीलदार जी से तहसील कार्यालय में दस्तावेजात लेकर मिली तथा रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी में नाम दुरूस्त कराने को कहा तो उन्होने साफ इंकार कर दिया और सक्षम न्यायालय से नाम दुरूस्त कराने का आदेश लाने को कहा, इसलिये दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि आराजी खसरा ग्राम मण्डेरु तह0 टोडाभीम के खं0 नं0 1196 रकवा 0:38 है0 कुल किता 1 कुल रकवा 0:38 है0 वादीया का नाम कमली देवी पत्नि मुनीम को हजफ फरमाया जाकर कमला देवी पत्नि मुनीम अंकित किया जावे

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार की ओर से जबाव प्रस्तुत कर कि वर्तमान जमावंदी ग्राम मण्डेरु तह0 टोडाभीम के खाता संख्या 29 सम्वत 2075–2078 आराजी खं0 नं0 1196 रकवा 0:38 है0 कुल किता 1 कुल रकवा 0:38 है0 ग्राम मण्डेरु तह0 टोडाभीम वादीया का नाम कमली पत्नि मुनीम हिस्सा 1/2 दर्ज रिकोर्ड है जबकि वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में वादीया का नाम कमलादेवी पत्नि मुनीम है मैने अधिवक्तागण की बहस सुनी अधिवक्ता वादीया अधिवक्ता द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीया का नाम कमलादेवी है लेकिन रेवेन्यू रिकोर्ड कमलीदेवी हो गया है जबकि मेरे समस्त दस्तावेजो मे बच्चो के दस्तावेजो में मेरा नाम कमला देवी है मैने दस्तावेजो मे राशन कार्ड भामाशाह कार्ड बच्चो के दस्तावेज पेश किये पैरोकार तहसीलदार द्वारा अपने जबाब के कथनो का दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजी में वादीया का नाम कमलीदेवी है जो उसने खरीद की है नामान्तरकरण संख्या से आयी है

मैने वादीया वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत जमावंदी ग्राम मण्डेरु तह0 टोडाभीम के खाता संख्या 29 सम्वत 2075–2078 आराजी खं0 नं0 [illegible]96 [illegible]वा 0:38 है0 कुल किता 1 कुल रकवा 0:38 है0 में वादीया का नाम [illegible] प्रस्तुत दस्तावेजो में नाम कमलादेवी है उक्त नाम नामांन्तरकरण संख्या से 3[illegible] है उक्त प्रकरण 136 में दर्ज नही होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा खातेदारी का है वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मु0नं0 15/2025 उनवान कमला देवी बनाम तहसीलदार बगै0

पत्र में घोषणात्मक प्रकृति व्यापक व सम्पूर्ण है अतः त्वरित न्यायहित में निर्णय स्वीकार करते हुए भी वादीया का वाद पत्र को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है

निर्णय

अतः ग्राम मण्डेरू तह0 टोडाभीम की आराजी खं0 नं0 1196 रकवा 0:38 है0 में वादीया का नाम कमलीदेवी पत्नि मुनीम को हजफ कर कमलादेवी पत्नि मुनीम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है वादीया जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो

निर्णय आज दिनांक 02.07.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested